रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 2001/भाद्र 16, 1923
No. 641] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 2001/BHADRA 16, 1923

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीकार का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2001

का. आ. 859(अ).—जबकि राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी समिति संघ लि., नई दिल्ली (संक्षेप में एन.ए.एफ.आई.सी.) को दिनांक 21 जनवरी, 2000 के समसंख्यक आदेश के तहत परिसमाप्त किये जाने का आदेश दिया गया है।

2. जबकि श्री विजय सिंह, तत्कालीन निदेशक (सहकारिता), कृषि तथा सहकारिता विभाग को परिसमापक नियुक्त किया गया था और परिसमापक को 6 माह की अवधि में परिसमापन को अन्तिम रूप देने का निर्देश दिया गया था।

3. और, जबकि एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात परिसमापन के मामले में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

4. और, जबकि यह प्रतीत होता है कि वे परिसमापन की कार्यवाही में अनुचित रूप से अधिक समय ले रहे हैं और मौजूदा स्थिति में परिसमापन को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगेगा।

5. और, जबकि एस.एस.आई. एवं ए.आर.आई. विभाग समिति के यथाशीघ्र परिसमापन पर जोर दे रहा है।

6. अत:, अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् और बहु-राज्य सहकारी समिति नियमावली, 1985 के नियम 19(ठ) के तहत शक्तियों को प्रयोग करते हुये मैं, श्री विजय सिंह को हटाता हूं और उनके स्थान पर श्री वी. जी. धर्माधिकारी, भा. प्र. सेवा, कार्यकारी निदेशक, नैफेड को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। श्री विजय सिंह को निदेश दिया जाता है कि वे समिति से संबंधित उनके अधीन सभी रिकार्ड, परिसम्पतियों और अन्य प्रभारों को तत्काल श्री धर्माधिकारी को सौंप दें।

7. एतद्द्वारा नियुक्त परिसमापक इस आदेश की तारीख से 4 माह की अवधि में परिसमापन को अन्तिम रूप देगा।

[सं. आर-11017/1/98-एल एंड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव

एवं सहकारी समितियों का केन्द्रीय पंजीकार

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

OFFICE OF THE CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2001

S.O. 859(E).—Whereas vide Order of even number dated 21st January, 2000, the National Federation of Industrial Cooperatives Ltd., New Delhi (in short the NAFIC) was ordered to be wound up.

2. Whereas Shri Vijay Singh, the then Director (Cooperation), Department of Agriculture and Cooperation was appointed as Liquidator and the Liquidator was directed to finalise the liquidation within a period of 6 months.

3. And whereas even after a lapse of more than a year, no tangible progress has been made in the liquidation.

4. And whereas it appears that he is taking unduly long time in the liquidation proceedings and at the present pace, it will take a very long time to complete the liquidation.

5. And whereas the Department of SSI and ARI is pressing hard for the early liquidation of the society.

6. Now, therefore, after careful consideration and in exercise of the powers under Rule 19(n) of the Multi-State Cooperative Societies Rules, 1985, I remove Shri Vijay Singh and appoint Shri V. G. Dharmadhikari, IAS, Executive Director, NAFED as liquidator in his place. Shri Vijay Singh is directed to hand over immediately, all the records, assets and other charges relating to the society under his custody to Shir Dharmadhikari.

7. The Liquidator appointed herein shall finalise the liquidation within a period of 4 months from the date of this order.

[No. R-11017/1/98-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy.
and Central Registrar of Cooperative Societies

आदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2001

[बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 77(1) के तहत]

का. आ. 860(अ).—जबकि रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग द्वारा केन्द्रीय पंजीकार के ध्यान में लाया गया कि पैट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड (यहां इसके पश्चात पी सी एल लिखेंगे) को 1994-95 से घाटा हो रहा था और इसके संयंत्रों को नवम्बर, 1998 में ताला लगा दिया गया था। इस प्रकार पी सी एल पूरी तरह समाप्त हो गया।

2. और जबकि रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग ने सूचित किया कि पी सी एल द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास स्कीम पर उस विभाग द्वारा गहनता से विचार किया गया। पुनर्वास प्रस्ताव के पी सी एल की दीर्घावधि व्यवहार्यता को स्थापित नहीं किया जा सका और इसीलिए इसे तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया।

3. मंत्रीमंडल ने बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पी सी एल को बंद करने हेतु कदम उठाने के लिए रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

4. और जबकि धारा 77(1) के प्रावधानों के अनुसार इस कार्यालय के दिनांक 26-12-2000 के नोटिस द्वारा पी सी एल को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

5. और जबकि पी सी एल ने दिनांक 3-1-2001 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्हें समिति को बंद करने वाला निर्देश पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. अब इसीलिए उपर्युक्त सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात मैं, के. एस. भोरिया, केन्द्रीय पंजीकार सहकारी समितियां, यह मत रखता हूं कि पी सी एल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

7. मैं, श्री आई. एस. चतुर्वेदी, उप-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को पी सी एल के परिसमापक के रूप में नियुक्त करता हूं।

8. परिसमापक आदेश की तारीख से छह माह के भीतर समापन कार्य को अंतिम रूप देंगें।

[सं. आर-11017/15/89-एल एवं एम (भाग IV)]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव
एवं सहकारी समितियों का केन्द्रीय पंजीकार

ORDER

New Delhi, the 11th April, 2001

[Under Section 77(1) read with sub-section (1) of section 80 of the Multi-State Cooperative Act, 1984]

S.O. 860(E).—Whereas the Department of Chemicals and Petrochemicals brought to the notice of the Central Registrar that the Petrofils Cooperative Ltd. (hereinafter refer to PCL) had been incurring losses since 1994-95 and its plants shut down since November, 1998. Thus the PCL has become total defunct.

2. And wheras Department of Chemicals and Petrochemicals informed that the rehabilitation scheme submitted by PCL was considered by that Department thoroughly. The rehabilitation proposal did not establish the long term viability of PCL and therefore, it was not considered techno-economically viable;

3. The Cabinet approved the proposal of the Department of Chemicals and Petrochemicals to initiate steps under the Multi-State Cooperative Act, 1984 for winding up of PCL.

4. And wheras in terms of the provisions of Section 77(1), the PCL was given an opportunity vide this office notice dated 26-12-2000 to present its case.

5. And whereas the PCL vide its letter dated 3-1-2001 has intimated their no objection for directing the winding of the Society.

6. Now therefore, after careful consideration of all the aforesaid relevant facts and circumstances, I, K .S. Bhoria, Central Registrar of Coopcrative Societies, am of opinion that the PCL ought to be wound up.

7. I hereby appoint Shri I. S. Chaturvedi, Dy. Managing Director, National Cooperative Development Corporation as Liquidator of the PCL.

8. The Liquidator shall finalise the liquidation within a period of six months from the date of this order.

[No. R-11017/15/89-L&M(Vol. IV)]

K. S. BHORIA, Jt. Secy. and
Central Registrar of Cooperative Societies

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 2001

का.आ. 861(अ).—दिनांक 11 अप्रैल, 2001 के समसंख्यक कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आई. एस. चतुर्वेदी, उप प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के स्थान पर श्री सी. के. देसाई, भा. प्रशा. सेवा (सेवा निवृत्त) को पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव्स लिमिटेड परिसमापक (लिक्विडेटर) के रूप में तैनात किया जाता है।

2. श्री आई. एस. चतुर्वेदी श्री सी. के. देसाई को तत्काल ही परिसमापक (लिक्विडेटर) का कार्यभार सौंपने का और अब तक उनके द्वारा की गई परिसमापक कार्यवाहियों से उनको अवगत कराने का निदेश दिया जाता है।

3. परिसमापक (लिक्विडेटर) आदेश की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर समापन कार्य को अंतम रूप दे देंगे और तत्पश्चात् तत्काल ही केन्द्रीय पंजीकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4. परिसमापक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक संबंध में यथा समय निर्णय लिया जाएगा।

[सं. आर-11017/15/89-एल एण्ड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव एवं
केन्द्रीय पंजीकार, सहकारी समितियां

ORDER

New Delhi, the 4th June, 2001

S.O. 861(E).—In partial modification of the office order of even number dated the 11th April, 2001. Shri C. K. Desai, IAS (Retired) is appointed as Liquidator of the Petrofils Cooperative Ltd., Vadodara in place of Shri I.S. Chaturvedi, Dy. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.

2. Shri I. S. Chaturvedi is directed to hand over the charge of Liquidator to Shri C. K. Desai immediately and also apprise him of the liquidation proceedings undertaken by him so far.

3. The Liquidator shall finalise the liquidation within a period of six months from the date of the order and submit the report to the Central Registrar immediately thereafter.

4. The remuneration of the liquidator shall be decided in due course.

[No. R-11017/15/89-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy. and
Central Registrar of Cooperative Societies

आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2001

[बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 77(1) के अंतर्गत]

का.आ. 862(अ).—दिनांक 27-4-2000 और 25 जुलाई, 2000 के समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सी. एम. दलाल के स्थान पर श्री एम. जे. परमार, उप पंजीकार, सहकारी समिति, आनन्द को राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादन संघ लिमिटेड आनन्द के परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक इस आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर समापन कार्य को अंतिम रूप दे देंगे।

[सं. एल-11014/6/98-एल एण्ड एम]

के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव एवं
केन्द्रीय पंजीकार, सहकारी समिति

ORDER

New Delhi, the 11th July, 2001

[Under Section 77(1) of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984]

S.O. 862(E).—In partial modification of order of even number dated 27-4-2000 and 25th July, 2000, Shri M. J. Parmar, Dy. Registrar of Cooperative Societies, Anand is hereby appointed as Liquidator of the National Cooperative Tobacco Growers Federation Ltd., Anand vice Shri C. M. Dalal.

The Liquidator shall finalise the liquidation within a period of six months from the date of this order.

[No. L-11014/6/98-L&M]

K. S. BHORIA, Jt. Secy. and
Central Registrar of Cooperative Societies

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.